न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 2 / रेगूलर / 2024 (GCMS No. 2024 / 64)	22.04.2024	22.07.2024

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

श्री लवली यादव आ. पप्पूलाल यादव,
निवासी ग्राम पराना, ग्राम पंचायत बुधपुरा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति —
प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक (रसद)
अप्रार्थी की ओर से श्री अमर सिंह राठौड, एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 10.04.2024 को जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा थाना डाबी से प्राप्त सूचना पर धनेश्वर टोल नाके से जब्त सफेद रंग की ऑल्टो कार RJ28 CA 5038 में 08 ड्रम में 350 लीटर पेट्रोल व गाडी के संबंध में जांच की गई। जिसमें जांच अनुसार प्रथमदृष्टया अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (MS) भरा होना प्रतीत होता, जो पकड़े गये वाहन चालक के बयानों से भी मेल खाता है। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की डेन्सिटी 735.3 से 747.1 मापी गई। फर्द मौका तैयार कर ऑल्टो कार RJ28 CA 5038 मय 350 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ को अधिग्रहित कर माल खाना इन्चार्ज की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट 75 / 2024 थाना, डाबी में दर्ज करवायी गई। प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुनवाई कर निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 02/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/64 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को सूचना पत्र/ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जर्ये अधिवक्ता उपस्थित आया एवं दिनांक 08.07.2024 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये उक्त कार्यवाही खारिज किये जाने कानिवेदन किया गया।

तत्पश्चात् मामलें में बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 10.04.2024 को प्रार्थी डाबी थानाधिकारी से दूरभाष पर प्राप्त सूचना एवं प्रभारी अधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष लोकसभा चुनाव 2024 बून्दी के पत्र क्रमांक 37 दिनांक 09.04.2024 के क्रम में थाना डाबी पहुंचा। डाबी थाने पहुंचकर धनेश्वर टोल नाके पर एक सफेद ऑल्टो कार में जब्त किये गये पेट्रोल व गाडी के संबंध में मौके पर जानकारी की गई। मौके पर मय वाहन 08 ड्रम प्लास्टिक के ढक्कन लगे दिखाये गये। जिन सभी 08 ड्रम में भरे पदार्थ का 5 लीटर के प्रमाणित माप से माप लिया गया। माप अनुसार 08 ड्रम में कुल 350 पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया जिसकी डेन्सिटी 735.3 से 747.1 तक मापी गई। प्रथम दृष्ट्या उक्त पेट्रोलियम पदार्थ (MS) प्रतीत होता है, जो वाहन चालक के बयानों से भी मेल खाता है। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमाणित एल्यूमिनियम बोटल्स में 4 सेम्पल लिये गये। जिनका पूर्ण विवरण सेम्पल लेबल चिट पर दर्ज किया जाकर बोटल सेम्पल कोड सं. 1,2,3 मालखाना प्रभारी की सुपुर्दगी में वास्ते जांच सुपुर्द किये गये। रोजनामचा थाना डाबी के विवरण अनुसार उक्त वाहन मय 08 पेट्रोल भरे ड्रम दिनांक 09.04.2024 को रात्रि में FST –02 प्रभारी द्वारा पकडा गया एवं थाना डाबी द्वारा डिटेन कर थाना परिसर में खडा किया गया। उपरोक्त 350 लीटर पेट्रोल पदार्थ मय 08 प्लास्टिक ड्रम व वाहन सं. RJ28 CA 5038 सफेद रंग की ऑल्टो कार को जब्त किया जाकर सुरक्षा वास्ते मालखाना प्रभारी थाना डाबी के सुपुर्दगी में दिया गया। मौका बयान में वाहन चालक ने अवैध खरीद कर कोटा में उक्त पेट्रोल थोडी–थोडी मात्रा में वाहन वालों को एवं फुटकर विक्रेताओं को बेचना बताया है तथा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से मोटर स्पीरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस अपने तर्क प्रस्तुत करते हुये बताया कि थाना डाबी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2024 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत इस आशय की दर्ज की गई कि अप्रार्थी द्वारा सफेद अल्टो कार RJ28 CA 5038 में 350 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण किया गया है जबकि अप्रार्थी उक्त पेट्रोल अपने मालिक के खेतों में चल रही कम्बाइन मशीनों के साथ आई कारों व मालिक की स्वयं की कारों एवं मोटर साइकिलों में डालने हेतु डाबी पेट्रोल पम्प से भरवाकर अपनी कार में रखकर ला रहा था। अप्रार्थी उक्त पेट्रोल को गलत नीयत व गलत उपयोग हेतु नहीं ला रहा था। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि दिनांक 09.04.2024 को धनेश्वर टोल नाके पर जब्त सफ़ेद अल्टो कार RJ28 CA 5038 में 08 ड्रम में भरे 350 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में वाहन चालक द्वारा संतोषप्रद जवाब एवं कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से उक्त कार मय 350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ थाना डाबी द्वारा जब्त की गई। जिला रसद अधिकारी, बून्दी की जांच में उक्त पेट्रोलियम पदार्थ संदिग्ध पाया गया। मौका बयान में भी अप्रार्थी द्वारा इस अवैध पेट्रोलियम भंडारण की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास उक्त पदार्थ के परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंन्स नहीं होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त पदार्थ का अवैध तरीके से कार में भरकर परिवहन करना, भण्डारण करना तथा उसकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाये जाने से जब्तशुदा 350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुये दिनांक 09.04.2024 को ज़ब्तशुदा निम्नांकित 350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश दिये जाते है–

क्र.सं.	हाइड्रोमीटर	डेन्सिटी/घनत्व	मात्रा (लीटर में)
1	729	735.3	50
2	729	735.3	45
3	732	747.10	45
4	740	745.20	45
5	729	744.6	45
6	732	746.3	40
7	729	735.3	40
8	730	746.0	40
		कुल मात्रा	350 लीटर

जिला रसद अधिकारी, बून्दी उक्त जब्तशुदा 350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को थानाधिकारी, पुलिस थाना डाबी से तत्काल प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा कर, पालना से अविलम्ब अवगत करावे। उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में भिजवायी जावे । पत्रावली फैसले में शुमार की जावे ।

आदेश आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी